

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 66]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 17, 1997 ∕माघ 28, 1918 NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 17, 1997/MAGHA 28, 1918

No. 66]

वित्त मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1997

सा. का. नि. 80 (अ).— केन्द्रीय सरकार, कम्पनी, अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 530 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित करती है कि वह राशि, जिसकी अग्रता उक्त अधिनियम की धारा 530 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन 1 मार्च, 1997 से दी जाएगी, किसी एक दावेदार की दशा में, 20,000 रुपये (केवल बीस हजार रुपये) की राशि से अधिक की न होगी।

[फा. सं. 1/6/97-सी एल V] आर. डी. जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 1997

G. S. R. 80 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 530 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby notifies that the sum to which priority shall be given under clause (b) of sub section (1) of section 530 of the said Act with effect from 1st day of March, 1997 shall not in case of any one claimant, exceed the sum of Rs. 20,000/- (Rupees twenty thousand only)

[1/6/97-CLV]

R. D. JOSHI, Jt. Secy.

387 GI/97